उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–1271 / 60–2–13–2 / 1(194) / 01 टी.सी.
लखनऊः दिनांक 03 मई, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रैप के फलस्वरूप निलम्बन के मामलों के पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या–7 / 3 / 78–कार्मिक–1 / 1980, दिनांक 12 अगस्त, 1980 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 1981 के अनुपालन में समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग — अध्यक्ष
2. न्याय सचिव अथवा उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से कम का न हो। — सदस्य
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (विभागाध्यक्ष) — सदस्य

मिश्रीलाल पासवान,
विशेष सचिव।

संख्या– 1271 (1) / 60–2–13, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव